राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), शासन सचिवालय, जयपुर

प 61(49)ग्रावि/म.न/वि.सा.अ/2014–15 पार्ट–1 जयपुर, दिनांक 3 JUL 2015

विज्ञप्ति

संविदा के आधार पर सामाजिक विकास सलाहकार व सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण–

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम 2005 एवं सामाजिक अंकेक्षण नियम 2011 के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण स्टाफ हेतु विशेष वित्तीय सहायता का प्रावधान ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक M-13015/2/2012-MGNREGA-VII Date 11 June 2014 एवं 11 August 2014 के अन्तर्गत ~~किया गया है।~~ सामाजिक अंकेक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर संविदा के आधार पर सामाजिक विकास सलाहकार व सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञों का चयन किया जाना है। सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय में सामाजिक विकास सलाहकार व सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ की नियुक्ति हेतु पात्र एवं योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र दिनांक 31-7-15 तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड–पोस्ट/ई–मेल से आमंत्रित किये जाते है :–

1. **सामाजिक विकास सलाहकार –1**
2. **सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ –6**

चयन हेतु शर्ते निम्न प्रकार से है :–

<u>सामाजिक विकास सलाहकार हेतु</u> :–

1. निदेशक सामाजिक अंकेक्षण के अधीन काम करने के लिए बाध्य होगा।
2. आवेदन कर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं समर्थ होना चाहिए।
3. आवेदन कर्ता राजकीय कर्मचारी/अधिकारी नहीं होना चाहिए।
4. आवेदक सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधि जिसे कम से कम 5 वर्ष का Social Audits/ Accountability Related Issues का अनुभव होना चाहिये एवं गरीबो के अधिकारों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव (Significant Experience) होना चाहिए।
5. Social Sciences discipline में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए।
6. नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी। इन्हे निदेशक शासी निकाय (Governing Body) से सलाह के उपरान्त Renew भी किया जा सकेगा।
7. आवेदक की दिनांक 01.01.2015 को आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिये।
8. आवेदक को रूपये 40,000 प्रतिमाह की सीमा में मानदेय देय होगा।

<u>सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ हेतु</u> :–

1. आवेदनकर्ता सिविल सोसाइटी से होना चाहिए।
2. आवेदनकर्ता को कम से कम 3 वर्ष का Grass root Experience Working on right based issues होना चाहिए।
3. सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ का चयन 1 वर्ष के लिए होगा और Performance Base पर Renew वर्ष 2017 तक किया जा सकेगा। सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ का अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) निदेशक सामाजिक अंकेक्षण द्वारा परिवर्तित किया जा सकेगा।
4. आवेदक की दिनांक 01.01.2015 को आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिये।
5. आवेदक को रूपये 20,000 प्रतिमाह की सीमा में मानदेय देय होगा।
6. आवेदक Graduate होना चाहिये।

सामाजिक विकास सलाहकार एवं सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ को वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 के साथ संलग्न मानक प्रारूप में अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

नोटः– आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य समस्त जानकारियों के लिए विभागीय वेबसाइट www.nrega.raj.nic.in एवं www.rdprd.gov.in देखें। सामाजिक विकास सलाहकार एवं अंकेक्षण विशेषज्ञों का अंतिम चयन राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा।

(के.सी.मीना) 3/7
परि.निदे. एवं संयुक्त
शासन सचिव, ईजीएस

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), शासन सचिवालय, जयपुर

सामाजिक विकास सलाहकार/सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ हेतु आवेदन पत्र–

भाग अ–व्यक्तिगत सूचना

1. नाम बडे अक्षरों में (हिन्दी में)..
   (अग्रेंजी में)..
2. पिता/पति का नाम..
3. जन्म तिथि..(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
4. आयु..(दिनांक 01.01.2015 को)
5. डाक का पता(अ) वर्तमान पता..
   ....
   (ब) स्थाई पता..
   ....
   (स) दूरभाष नम्बर एसटीडी कोड सहित..
   ....
   (द) मोबाइल नम्बर..
   (य) ईमेल आईडी..
   (र) पद जिसके लिए आवेदन किया गया है..
6. क्या आप मानसिक व शारीरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करने हेतु स्वस्थ है (इसके लिये किसी भी राजकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. क्या आप का कभी किसी अपराधिक केस में चालान हुआ (यदि हॉ तो विवरण दें, यदि नही तो इस आशय का नोटरी पब्लिक से सत्यापित शपथ–पत्र संलग्न करें।
8. क्या आप महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन में किसी भी रूप में जुडे रहे है, यदि हॉ तो विवरण दे–कब ,कहॉ,किस रूप में है? --
   ----

   ----
9. प्रार्थना पत्र के साथ दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अनुशंसा पत्र संलग्न करे, एवं इन संदर्भित व्यक्तियों के नाम, पते एवं दूरभाष नम्बर अंकित करें।

भाग ब– शैक्षणिक योग्यता:–

1. शैक्षणिक योग्यता..(स्वसत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)
2. अनुभव वर्षो में ....। अनुभव का क्षेत्र :– सामाजिक अकेक्षण कार्य/गरीबों के अधिकार पर कार्य/समाज सेवा /प्रशासन /शैक्षणिक/(स्वसत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. किसी सिविल सोसाइटी के सदस्य रहे है तो संस्था का विवरण देवें..
   ....
4. वर्तमान व्यवसाय ....

भाग स– घोषणाः–

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचनायें सत्य है। मैने विज्ञापन में वर्णित भारत सरकार द्वारा जारी सामाजिक विकास सलाहकार/सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ को संविदा पर लिये जाने संबंधी दिशा निर्देशों को पढ लिया है। और मुझे पता है कि सामाजिक विकास सलाहकार/सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ का कार्य एक अंशकालीन कार्य है। सामाजिक विकास सलाहकार/सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम 2005 एवं सामाजिक अंकेक्षण स्कीम नियम 2011 व योजना के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत कार्य करना है।

स्थानः–   आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांकः–   आवेदक का नाम